(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 16 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 74

बउनवान

श्री थान सिंह मेहता निवासी वार्ड नं. 07, ग्राम खटका तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.) पिन कोड –325217 मो.नं. 9672697315

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 16.09.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, जो निम्नानुसार है :–

बतोबाई पत्नि स्व. श्री रामधन ग्राम जागदा प.म. अजरोडा खाता संख्या 60 से संबंधित नवीन जमाबंदी / खसरा खतौनी आदि दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी शाहबाद को ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 19.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 713–714 दिनांक 21.08.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 713–714 दिनांक 21.08.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा [illegible] कार्यालय के पत्र क्रमांक / आर.टी. आई. / 2025 / 1752 दिनांक 10.09.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि :–

प्रार्थी श्री थानसिंह मेहता निवासी वार्ड नं. 07 खटका तहसील शाहबाद जिला बारॉ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत बतोबाई पत्नि स्व. श्री रामधन ग्राम जागदा प.म. अजरोडा खाता संख्या 60 से संबंधित नवीन जमाबंदी / खसरा खतौनी आदि दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाई जाने की सूचना चाही गई थी, चूंकि

जमाबंदी/खसरा खतौती का रिकॉर्ड कायालय मे संधारित नही होता है, इसलिए सूचना दिया जाना संभव नही है, जो कि सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी की नकल आवेदन के साथ संलग्न भी कर रखी है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद से अपील के प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:19 IST
Reason: SelfAttested